न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर
अपील संख्या 42/2024

1. महेश कुमार उर्फ पींकू पुत्र श्री संजय कुमार उम्र 43 वर्ष,
2. हेमलता उर्फ हेमा पत्नि श्री महेश कुमार उम्र 41 वर्ष,
   निवासीगण शिव शंकर बेकरी के पास, मेयो लिंक रोड, चौराहा, अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्री संजय कुमार पुत्र स्व0 श्री दल्ला जी उम्र 74 वर्ष
2. श्रीमति सुशीला देवी पत्नि श्री संजय कुमार उम्र 66 वर्ष
   निवासीगण शिव शंकर बेकरी के पास, मेयो लिंक रोड, चौराहा, अजमेर

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आक्षेपित आदेश दिनांक 10.07.2024 अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी एवं भरण पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

आदेश

दिनांक :– 19.02.2025

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ अधिकरण उपखण्ड अधिकारी अजमेर के आदेश दिनांक 10.07.2024, जिसमें "प्रार्थीगण (रेस्पोडेन्ट) अप्रार्थीगण (अपीलांट) हैं उक्त आदेश में अप्रार्थीगण को आदेशित किया गया है कि प्रार्थीगण को किसी भी तरह से शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित नहीं करेगें। जिससे असन्तुष्ट होकर इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स 2 स्वयं उपस्थित आये। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र माननीय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष इस आश्य का प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण का स्वयं का मकान है जिसमें प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण वरिष्ठ नागरिक जन निवास करते है और प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण को उक्त जायदाद अपनी माता से जरिये पंजीकृत वसीयत से प्राप्त हुई है जो मेयो लिंक रोड, शिवशंकर बेकरी के पास, अजमेर में स्थित है और प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण बिमार रहते है और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है तथा प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अनुतोष चाहा कि अपीलार्थी/प्रार्थी प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण के मकान को तुरन्त प्रभाव से खाली कर प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण को मकान का खाली कब्जा संभला देवे। अपीलार्थी/प्रार्थी दौराने लम्बित रहते हुए प्रार्थना पत्र के किसी प्रकार से प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण को प्रताडित नहीं करे। प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण के मकान के सामने अवैध रूप से लगाया गया सब्जी का ठेला तथा मकान के अन्दर आने जाने के मार्ग में रखे गये सब्जी के बोरे कट्टे एवं केरेट सभी को तुरन्त प्रभाव से हटा लेवे। अपीलार्थी/प्रार्थी ने प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का समुचित जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण ने जिसे संपत्ति का हवाला अपने प्रार्थना पत्र में दिया उसमें

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण को जहां तक जानकारी है यह संपत्ति पुश्तैनी सम्पत्ति है और जिसका अभी तक मौखिक या लिखित बंटवारा नहीं हुआ है और जिस पंजीकृत वसीयत से उपरोक्त जायदाद को प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण प्राप्त होना बता रहे है यह भी अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण की जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। क्योंकि अपीलार्थी/प्रार्थीगण को इस वसीयत के बारे में ना तो किसी ने बताया है और ना ही उन्होने इस वसीयत को देखा है। इससे प्रतीत होता है कि जिस वसीयत का हवाला प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण दे रहे है यह वसीयत या तो कूटरचित बनवायी हुई है क्योंकि प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण ने पूर्व में भी इसी तरह का प्रार्थना पत्र अपीलार्थी/प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया था लेकिन उस समय भी प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण सम्पत्ति शंकर बेकरी के पास मेयो लिंक रोड चौराहा अजमेर के दस्तावेजों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पाये थे। जिस वजह से पूर्व में भी प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज हो गया था। अब कुछ वर्ष पश्चात उसी तरह का प्रार्थना पत्र पुनः प्रस्तुत कर अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण को हैरान परेशान करना चाह रहे है और जब प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण इस वसीयत का हवाला किस प्रकार से दे रहे है क्योंकि इस वसीयत का अंकन प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण कर रहे है यह वसीयत तो प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण के पास पूर्व में भी मौजूद होनी चाहिए थी लेकिन प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण ने पूर्व में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत नहीं की थी जिस कारण प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज हो गया था। प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की कोई गंभीर बीमारियां नहीं है उनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है तथा प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण बिल्कुल स्वस्थ है तथा प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण संजय कुमार जे.एल.एन. चिकित्सालय अजमेर से सेवानिवृत्त है जिसे प्रतिमाह 30 से 35 हजार रूपये पेंशन प्राप्त होती है तथा प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण ने अपने घर में ही डेयरी बुथ व जनरल स्टोर भी संचालित कर रखा है जहां से उन्हें प्रतिमाह 20 से 25 हजार रूपये की आमदनी प्राप्त होती है जबकि दोनो अकेले है जबकि प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण पर किसी अन्य की जिम्मेदारी नहीं है प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण मात्र दो ही व्यक्ति है। जिनके पास प्रतिमाह पेंशन व जनरल स्टोर से 50 से 60 हजार रूपये की आय प्राप्त होती है जबकि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण की दो संतान है जिनकी उम्र 17 वर्ष है जो कि वर्तमान में अध्ययनरत है। जिनकी शिक्षा व भरण पोषण अपीलाथीगण/प्रार्थीगण अपनी सब्जी के व्यवसाय से बमुश्किल ही कर पाते है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय से असल तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है क्योंकि प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण ने इसी तरह का अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण से निष्कासित करने का दावा स्थायी निषेधाज्ञा व अस्थाई निषेधाज्ञा का माननीय सिविल न्यायालय पूर्व अजमेर में किया हुआ है जो कि वर्तमान में विचाराधीन है इसलिए प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरित होने से खारिज होने योग्य है जिसे खारिज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर आदेश किये कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण का किसी भी तरह से शारिरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित नहीं करेंगे। यदि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो थानाधिकारी पुलिस थाना, अलवरगेट, अजमेर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किये है वह विधि विरूद्ध व सिनियर सिटीजन एक्ट के प्रावधानो के विपरित जाकर व एक्ट कि परीधि से बाहर जाकर किया है क्योंकि माननीय उप जिला मजिस्ट्रेट को मात्र भरण–पोषण व

(लोकबंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

संपत्ति अगर वृद्धजन नागरिक है तो उस सम्पत्ति को खाली कराने अधिकार है और चूंकि प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण ने उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था तो वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुये किया है क्योकि उस सम्पत्ति का सिविल वाद प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण ने अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण को बेदखल करने का माननीय सिविल जज, पूर्व की कोर्ट में किया हुआ है इसलिये प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपजिला मजिस्ट्रेट ने आंशिक रूप से एक्ट की परिधी से बाहर जाकर व विधि विरूद्ध किया है अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण शांतीपूर्वक अपना सब्जी का ठेला लगाकर व्यवसाय कर रहे है जिन्हें सुबह 4 बजे से रात के 11 बज जाती है तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण का किसी भी तरह से प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण को हैरान परेशान या प्रताडित नहीं किया जा सकता है। अतः उप जिला मजिस्ट्रेट ने जो आदेश दिनांक 10.07.2024 द्वारा प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया है अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण की अपील स्वीकार कर उसे अपास्त करने की कृपा करे ।

जवाब में रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो ने अपील कथनो को सिरे से नकारते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण को जो सम्पत्ति मकान प्राप्त हुआ है, वह उसे अपनी माता से जरिये पंजीकृत वसीयत से प्राप्त है तथा 30 वर्षो से उनके पास है तथा उनका पूर्ण रूप से कब्जा तथा मालिकाना हक भी है तथा निरंतर उसका उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है, पूर्व में इस तरह का कोई भी आवेदन खारिज नहीं हुआ था और ना ही इसकी जानकारी अप्रार्थीगण को है। अपीलार्थी इस बात को स्वयं दस्तावेज प्रस्तुत करके साबित करे, बिना वजह अपीलार्थी मनगढंत कथन करके न्यायालय का वक्त बर्बाद नहीं करे। प्रत्यर्थीगण के पास शुरू से ही पंजीकृत वसीयत जरिये प्राप्त मकान उनके पास कब्जे में लगातार रहा है तथा जिनका वह निरंतर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। अपीलार्थी तो दो–चार माह के लिए प्रत्यर्थीगण के मकान में लाईसेंसी के तौर पर रहने के लिए आया था, इसके पूर्व वह अपने स्वयं के बनाये हुए मकान में कल्याणीपुरा में रहता था। अपीलार्थी मात्र प्रत्यर्थीगण के हक, अधिकार वाले मकान को अवैध रूप से कब्जा करने तथा हडपने की नियत से अनुरोध करके दो–चार महीने के लिए आया और अब मकान से बाहर नहीं निकल रहा है और लगातार प्रत्यर्थीगण को कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है तथा हड़प करने की नियत से प्रत्यर्थीगण जो कि बुजुर्ग दम्पति है, आये दिन मारपीट, गाली गलौच करते है तथा शारीरिक, मानसिक व आर्थिक प्रताडना देते है, जिससे कि प्रत्यर्थीगण का मकान छोड़ कर कही अन्यत्र चले जाये और अपीलार्थीगण का उस मकान पर अवैध कब्जा हो जाये तथा अप्रार्थीगण की आर्थिक हालत इतनी सही नहीं है कि अपीलार्थी से आये दिन मारपीट, गाली गलौच, झगडा करें तथा कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना के चक्कर लगाये और उस पर रूपये खर्च कर सके। इन्ही सब कारणो से अप्रार्थीगण ने अपीलार्थी को अपने मकान से व सम्पतियों से बेदखल भी कर रखा है तथा अपीलार्थी के प्रत्यर्थीगण माता पिता है, इसके बावजूद अपीलार्थी, प्रत्यर्थीगण पर एक रूपया भी खर्च नहीं करता है तथा उनके ईलाज, चिकित्सा आदि के लिए पैसा नहीं देता है। अपीलार्थी के पास इतनी सम्पति है कि चाहे तो वह बुजुर्ग माता पिता की सेवा कर सकता है तथा उनको आर्थिक मदद कर सकता है, उनकी देखभाल कर सकता है, क्योंकि अपीलार्थी के पास स्वयं का खरीदा हुआ भूखण्ड है, जो कि 104 वर्गगज का प्लॉट है, उस पर बीस लाख रूपये की लागत से मकान उसने बनवाया है, उसके पास चार पहिया वाहन है तथा डेढ लाख रूपये की मोटर साईकिल उसके लडके के पास है, दो एक्टिवा स्कूटर है तथा अपीलार्थी एक स्वयं सम्पत्तियों में निवेश का कार्य करता है, कई

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

प्लॉट उसने अपने नाम से खरीद कर रखे हुए है, अपीलार्थी संख्या 2 रामगंज, सब्जी मण्डी में सब्जियों की थोक विक्रेता है तथा सब्जियों की दलाली भी करती है तथा अपीलार्थी की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है कि वह आये दिन परिवार के साथ शहर से बाहर घूमने जाते है तथा साल में दो बार विदेश भ्रमण पर भी जाते है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने जो आंशिक आदेश पारित किये, वह सही व सत्य है परन्तु प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को अपने मकान से बेदखल तथा खाली मकान का कब्जा चाहा था प्रत्यर्थी को सम्पति पंजीकृत वसीयत के जरिये अपनी माता से प्राप्त हुई थी जो कि स्वअर्जित सम्पत्ति के समान मानी जाती है। पंजीकृत वसीयत के दिनांक से आज दिनांक तक कोई भी विवाद वसीयत पर लम्बित नहीं है और ना ही किसी ने कभी किसी अदालत में चुनौती दी है यह तो साबित हो जाता है कि यह सही है और सभी पक्ष को स्वीकार है, यह भी सत्य है कि माननीय सिविल न्यायालय जज पूर्व के न्यायालय में बेदखली का दावा अपीलार्थी के विरूद्ध पेश किया है यह भी सत्य है कि एक प्रार्थना पत्र माननीय अधिकरण के समक्ष वरिष्ठ नागरिकजन एक्ट के अंतर्गत पेश किया था जो कि आंशिक आदेश दिया गया था। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज फरमावे साथ ही माननीय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिये गये आंशिक आदेश को प्रत्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मांगे गये अनुतोष का पूर्ण आदेश दिया जाना, जिसमें कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के घर से बेदखल किये जाने का आदेश दिये जाने का अनुतोष मांगा गया था, को आदेशित किया जाना न्यायहित में न्यायोचित होगा।

हमने उपस्थित उभय पक्ष को सुना, अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। उभय पक्ष द्वारा हमारे समक्ष व्यक्त कथनों एवं प्रकट तथ्यों पर समस्त दृष्टिकोण से विवेचन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपील में कथन किया गया कि अपीलार्थीगण को परिसर से निष्कासित करने का दावा स्थायी निषेधाज्ञा व अस्थायी निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय पूर्व अजमेर में किया हुआ है जो वर्तमान में विचाराधीन है। जिसे रेस्पोडेन्टगण ने भी जवाब में स्वीकार किया गया कि माननीय सिविल न्यायालय जज पूर्व के न्यायालय में बेदखली का दावा अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्टगण सुनवाई हेतु भी उपस्थित नहीं हो रहे साथ ही अपीलान्ट द्वारा ऐसे कोई ठोस नये तथ्य, साक्ष्य सबूत के प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जावे। अपील के साथ सलंग्न दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर उक्त आदेश दिनांक 10.07.2024 पारित किया गया है, जो कि विधि संम्वत् एवं न्यायोचित है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 10.07.2024 में हाजा न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझती है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 यथावत रखा जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। अतः अपील चलने योग्य नहीं हाने से खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण, अजमेर